इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक ३ अक्टूबर २०२४-आश्विन ११, शक १९४६

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

क्र. एफ—22—13—2018—आठ.—यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक तथा समीचीन है:

अतएव, मोंटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 211क की उपधारा (2) सहपठित केन्द्रीय मोंटरयान नियम, 1989 के नियम 172 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह विहित करती है कि दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण—पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से या ई—हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएं.

No. F-22-13-2018-VIII.— Whereas, the State Government is of the opinion that it is necessary and expendient to do so, in the public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 211A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) read with sub-rule (2) of Rule 172 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the State Government, hereby, prescribes that driving license and Vehicle registration certificate shall be issued electronically, through digital signature or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) with effect from 1st October 2024.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सिबि चक्रवर्ती, सचिव.